

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5156/2024

1. मनीराम पुत्र सूरजमल, उम्र 47 साल,
2. धण्या पुत्री मनीराम, उम्र 17 साल,
3. दीना पुत्री मनीराम, उम्र 14 साल,
4. अंजली पुत्री मनीराम, उम्र 11 साल,
5. जानकी पुत्री मनीराम, उम्र 9 साल,
6. कृष्णा पुत्री मनीराम, उम्र 4 साल,
प्रार्थीगण 2 ता 6 जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मनीराम पुत्र
सूरजमल निवासी कीरों का मोहल्ला, छावनी, टोंक, जिला टोंक।

----प्रार्थीगण

Versus

1. रामअवतार पुत्र सवाईराम, उम्र 32 साल, निवासी— ग्राम लसाड़िया
थाना केकड़ी, जिला अजमेर
(वाहन चालक कार नं. आरजे-14-सीएफ-6044)
2. शंकरलाल पुत्र नारायण, निवासी बीसलपुर रोड, टोडारायसिंह, थाना
टोडारायसिंह, जिला टोंक
(वाहन स्वामी कार नं. आरजे-14-सीएफ-6044)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी चंद्रेश भवन, जयपुर रोड, छावनी, टोंक।

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	: Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. V.P. Mathur, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-215/2023 मनीराम व अन्य बनाम रामअवतार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष **मनोहरी देवी** की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 83,30,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण को **कुल 13,44,400/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय **ब्याज 7 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की मासिक आय 8,000/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतका सब्जी बेचने का कार्य करके 20,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करती थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 06.11.2022 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतका मनोहरी देवी को सब्जी बेचने का कार्य करके 20,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतका की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की मासिक आय 8,000/- रुपये निर्धारित

की गई। वक्त घटना मृतका को सब्जी बेचने का कार्य कर गृहिणी होना बताया गया है, इसलिए घरेलू काम काज करने वाली महिला स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है, इस कारण मृतका को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी मासिक आय की गणना किया जाना न्यायोचित है। घटना वर्ष 2022 की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 के पश्चात् न्यूनतम मजदूरी की दरों में वर्ष 2023 में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। वर्ष 2021 में कुशल श्रेणी के मजदूर श्रमिक की दैनिक आय 283/- रुपये प्रतिदिन तथा वर्ष 2023 में 309 रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम वक्त घटना मृतका की दैनिक आय 290/- रुपये, तदनुसार **मासिक आय $290 \times 30 = 8,700/-$ रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतका की आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतका की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय **8,700/- रुपये** पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **25 प्रतिशत (2,175/- रुपये)** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **10,875/- रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतका के ऊपर 6 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतका के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 10,875/- रुपये का $1/4$ भाग 2,719/-रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की **शेष राशि 8,156/- रुपये** होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतका की आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतका की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **14 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार

मृतका की निर्धारित आय **8,156/— रुपये** के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति **8,156 x 12 x 14 = 13,70,208/— रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को कुल **48,400/— रुपये** की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि की मद में 10 प्रतिशत राशि बढ़ाये जाने का आदेश दिया गया है, इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

10. घटना दिनांक 06.11.2022 की है। ऐसी स्थिति में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतका के पति अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 44,000/— रुपये तथा मृतका की संतानें अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 6 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 44,000/— रुपये (**कुल 2,64,000/— रुपये**) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित

सिद्धान्त के अनुसार 16,500—16,500/— रुपये (कुल 33,000/— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	13,70,208 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,64,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		16,67,208 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		13,44,400 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		3,22,808 /—

13. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को 13,44,400/— रुपये दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर 16,67,208/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J